संख्या -10/2019/463/77-3-2019-10बजट/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि में से यूपीडा हेतु परियोजना विकास परामर्शी को भुगतान एवं एजेन्सी चार्जेज हेतु रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-6219/यूपीडा/08/147, दिनांक 22.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक "5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 550.00 करोड में से शासनादेश संख्या-32/2018/2423/77-3-18-10बजट/2018, दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्री'फिजीबिलटी कार्यों हेतु रू0 1.35 करोड (रू0 एक करोड पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अवशेष धनराशि रू0 548.65 करोड में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास परामर्शी को भुगतान एवं एजेन्सी चार्जेज हेतु **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच सौ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-2-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक "5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-166/दस-2019 दिनांक 12.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-10/2019/463(1)/77-3-19-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।